सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)

हैदराबाद रू **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified RRs for the post of Syce- Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Syce is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(S. Ajeetha Begum)
Assistant Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/01/2009/Estt/RRs/A-5/Syce Dated: 16 08.2019

Internal:

(i) A-1 Sub-section : For taking necessary action to fill up the vacant post.

next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[No. R. II-1/2019-Med. I/CRPF/MHA(Pers.-II)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.-II)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2019

सा.का.नि.199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी साईस भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में साईस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, साईस भर्ती नियम, 2019 है।

   (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि** —भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
साईस	31* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 1 (रु. 18000—56900/—)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण—1** — आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अन्य राज्यों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,

					अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) **टिप्पण 2** – रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक – a) किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन या समकक्ष । b) किसी प्रतिष्ठित अस्तबल या रेस क्लब में घोड़ों के रखरखाव में 1 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** – 1. पशु प्रबंधन, अस्तबल प्रबंधन और घोड़े के साज़–सामान एवं सज्जा के रखरखाव में विशेषज्ञता होनी चाहिए ।	लागू नहीं होता।	02 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं भी परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि तक खाली रहने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से भरा जा सकता है जो – a) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हों ; और b) स्तंभ –7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह – ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिनमें निम्नलिखित होंगे –** 1. उप निदेशक – अध्यक्ष, 2. सहायक निदेशक – सदस्य, 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 या श्रेणी 3 –सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. 23011/37/2018–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2019

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Syce Recruitment Rules, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Syce in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Syce Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix .**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen the other backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Syce	31* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the Pay Matrix (Rs. 18,000-56,900/-)	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh

					Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep. **Note 2.** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (a) Matriculation or equivalent from any Government recognised Board; (b) one year experience in handling horses from a recognised equestrian or race club. **Desirable:** Expertise in animal management, stable management and maintenance of saddlery and equipment.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under the circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,– (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :** (1) Deputy Director – Chairman; (2) Assistant Director - Member; (3) Administrative Officer Grade-II or Grade-III - Member.	Not applicable

[F. No. 23011/37/2018-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.